न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-394RAAJodhpur2023-185RTA225 Bagadaram Vs Smt. Shanti etc

बगदाराम पुत्र भीकाराम जाति थोरी, निवासी- ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती शांति देवी पत्नी भंवरलाल जाति लौहार, निवासी- भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022 श्रीमती शांति देवी बनाम बगदाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, श्री दिवाकर शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 12 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022 श्रीमती शांति बनाम बगदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रंकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1984 रकबा 0.9870 हैक्टेयर ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाड़ा में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1981 रकबा 2. 2652 हैक्टेयर में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए,बी,सी,डी 18 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जुलाई 2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो खसरा नं. 1984 की उतरी दिशा की ओर स्थित खेत खसरा नं. 1982 के मार्क अ,ब,स,द तथा खसरा नं. 1983 के मार्क य,र,ल,व के भाग से गुजरता है। रेस्पोडेंट संख्या एक उक्त रास्ते से ही गुजरता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तलब की है। कानूनन किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाली कोई भी रिपोर्ट नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये बिना तैयार नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट गरीब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व्यक्ति है, उसका घर खर्च नहीं चलता है, इस कारण अपीलांट ने दिनांक 24.12.2019 को लार्सन एण्ड ट्रबो लिमिटेड कम्पनी के पक्ष में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1981 में से मिट्टी हटाने हेतु इकरारनामां निष्पादित कर दिया, जिसकी पालनामें लार्सन एण्ड ट्रबो कम्पनी ने खसरा नं. 1981 में सें करीब 7-8 फीट ग्रेवल मिट्टी को हटा दिया गया है। इस कारण अपीलांट की खातेदारी भूमि में से आवागमन संभव ही नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुने जाने के बाद राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गयी थी। हड़ताल खत्म होने के पश्चात अपीलांट के अधिवक्ता ने मामले में दिनांक 26.07.2023 को रीडर से पूछताछ की तो रीडर साहब ने बताया कि उक्त मामले में दिनांक 17.07.2023 को निर्णय कर दिया गया। तब अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की तथा अपीलांट को सूचना दी। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जुलाई 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघतुम एवं निकटतम रास्ता है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में भी अपीलाधीन रास्ते का लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर लघतुम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2022 में रेस्पोडेंट/प्रार्थी के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते को लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई कच्चा-पक्का निर्माण नहीं होना बताया गया है। उक्त मौका फर्द में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं होना बताया गया है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 1982 एवं 1983 में से रास्ता उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में उक्त रास्ते के विकल्प का जिक्र नहीं है तथा न ही अपीलांट द्वारा किसी दस्तावेज के जरिये यह साबित नहीं किया गया है कि उक्त रास्ता अपीलाधीन रास्ते के बजाय निकटतम है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जुलाई 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर